न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी:– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.– 81/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00256

1. मोहनलाल पुत्र सुलतानराम पुत्र जाति नायक आयु 35 वर्ष निवासी 25 पी.टी.डी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज

–प्रार्थी

बनाम

1. सुलतानराम पुत्र शेराराम जाति नायक आयु 57 वर्ष निवासी 25 पी.टी.डी. तससील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरीये उप तहसीलदार राजस्व–समेजा कोठी

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थिति:–
1. श्री रणजीत सिंह सोनी वकील प्रार्थी
2. एकपक्षीय अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक : 02.11.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी के वाद पत्र के साथ स्थगन प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि 25 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर का मु.न. 53 प.न. 298/366 में कुल रकबा 6.375 हैं रकबा बादी के दादा शेराराम पुत्र फुसाराम जाति नायक के नाम से आवंटन हुआ है। प्रार्थी के दादा शेराराम के देहांत के बाद भूमि उपरोक्त भुमि शेराराम के वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में भुमि दर्ज हुई और प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सें सुलतानराम के नाम 1.265 है नहरी भुमि राजस्ब रिकार्ड में दर्ज हुई। विवादित रकबा प्रार्थी के दादा की भुमि है। उसमे प्राथी उपरोक्त जायदात भूमि में प्रार्थी एंव अप्रार्थी प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है इस प्रकार प्रार्थी अपना 1/5 हिस्सा याकि 1.265 है0 नहरी भूमि में 0.253 है0 नहरी भूमि पाने का अधिकारी है। भूमि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड मे होने के कारण अप्रार्थी भूमि को बैंक का ऋणी बनाकर खुर्द करना चाहता है तथा भूमि विक्रय करने के लिए खरीददार तलाशने शुरू कर दिये है। विवादित रकबा पैतृक सम्पति है। अप्रार्थी उपरोक्त भूमि को अकेला विक्रय करने का अधिकारी नही हैं। प्रथम दृष्टया मामला ,सुविधा का संतुलन, अपूर्वीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के पत्र मे है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध इस कदर की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाने कि अप्रार्थी 25 पी.टी.डी राहसिंहनगर के मु.न. 53 प.न. 298/366 में कुल 6.325 हैं। नहरी भूमि में 1.265 है नहरी भूमि में प्रार्थी के हिस्सा की भूमि में किसी प्रकार की मदालखत बैजा नही करें। और रकबा किसी अन्य का रहन बैय व हस्तांतरण नही करे। प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी सादिर फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन करने पर अप्रार्थी के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी कि अप्रार्थी चक 25 पी.टी.डी प.न. 298/366 मु.न. 53 की 6.325 है में सें 1.265 है0 भूमि मे से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि पर आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथास्थित बनाए रखे। तथा अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 18/11/19 की अमल में लाई गयी। बहक प्रार्थी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वकील प्रार्थी में बहक के प्रा.प. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13/08/19 को मुल वाद निर्णय तक स्थाई करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। तथा पत्रावली का अवलोक[illegible] प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का अवलोकन किया। चूकि प्रथम [illegible]या [illegible] प्रार्थी की पैतृक सम्पति मालूम होती है। तथा अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई मुतराजात [illegible] किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.11.06 12:47:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

गया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है। यदि न्यायालय द्वारा स्थगन पारित नही किया जाता है तथा अप्रार्थी उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन बैय अन्तरण कर देता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिती में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर चूकि प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन की तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तथा न्यायालय अप्रार्थी के विरूद्ध इस आश्य की निषेधाज्ञा पारित करता है। कि वे मुल वाद के निर्णय तक चक 25 पी.टी.डी सम्वतः 2071–74 के खाता स. 63/51 मु.न. 53 प.न. 298/366 के कि.न. 1/10/11/20/21 की कुल 1.265 है कमाण्ड भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें तथा किसी अन्य को रहन बैय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने से बाज व मननू रहे।

निर्णय आज दिनांक 02/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
R.A.S.
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.11.06 12:47:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner